

ख०नि०-६

T.R.-6

(खजाना नियम 92 देखिए)

(See Rule 92)

(मुख्य पृष्ठ)

(Obverse)

चालान न०

Challan No.

कृपया बतायें

Please indicate whether

सिविल/Civil

रक्षा/Defence

रेलवे/Railway

डाकतार/Post & Telegraphs

खजाना/उप-खजाना

में संदत्त नकद का चालान

भारत के स्टेट/रिजर्व बैंक

Challan of cash paid into Treasury/Sub-Treasury at State/Reserve Bank of India

प्रेषक द्वारा भरा जाए

To be filled in by the remitter

विभागीय आफिसर या खजाने द्वारा भरा जाए

To be filled in by the Departmental Officer or the Treasury

किसके द्वारा निविदत्त किया गया	उस व्यक्ति का नाम (या पदाभिधान) और पता जिसकी ओर से धन संदत्त किया गया	प्रेषण की ओर/या पदाधिकारी की (यदि कोई हो) पूर्ण विशिष्टियाँ	रकम	लेखा शीर्षक	लेखा आफिसर जिसके द्वारा समायोजन हो सकता है	बैंक का आदेश
By when tendered	Name (or designation and address of the person on whose behalf money is paid)	Full particulars of the remittance and/or authority (if any)	Amount	Head of Account	Account Officer by whom adjustable	Order to the Bank
नाम			रु०			तारीख
Name			Rs.			Date
						सही है। प्राप्त करो और रसीद अनुदत्त करो (धन संदत्त करने का आदेश देने वाले आफिसर का नाम और पूरा पदाभिधान)
हस्ताक्षर		जोड़ *				Correct: Receive and grant receipt. (Signature and full Designation of the Officer ordering the money to be paid in).
Signature		Total*				

* रुपये (शब्दों में)

* (in words) Rupees

विभागीय आफिसर या खजाना आफिसर की मार्फत केवल बैंक को किए जाने वाले प्रेषणों की दशा में प्रयुक्त किया जाए
To be used only in the case of remittances to the Bank through Departmental Officer of the Treasury Officer

प्राप्त संदत्त (शब्दों में) रुपये

Received payment (in words) Rupees

कोषपाल
Treasurerलेखापाल
Accountantतारीख
Date

खजाना आफिसर
अभिकर्ता या प्रबंधक
Treasury Officer
Agent or Manager
(क०पू०स०/P.T.O.)

